कार्यालय, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर

पहला तल, आयकर भवन, तेलंगखेडी रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001

OFFICE OF THE

PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NAGPUR

1st Floor, Aayakar Bhawan, Telangkhedi Road, Civil Lines, Nagpur – 440 001

टेलि./Tel.: 0712- फॅक्स/Fax: 2565098

ई-मेल/E-mail: nagpur.pccit@incometax.gov.in

सत्यमेव जयते

F. No. Pr. CCIT/NGP/Tech./17(2)/09(2020-21)/2022-23 Date : 25/04/2023

DIN & Order No: ITBA/COM/F/17/2023-24/1052329429(1)

<u>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) का उप-खंड (viii) के परंतुक का खंड (ii) का उप-खंड (ख) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3(ए)(1) के अंतर्गत अनुमोदन का नवीनीकरण आदेश</u>

Order of Renewal of Approval under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of sub-section (2) of Section 17 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 3(A)(1) of Income-tax Rules, 1962

....

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) का उप-खंड (viii) के परंतुक का खंड (ii) का उप-खंड (ख) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3(ए)(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर एतदद्वारा नागपुर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान **प्राइवेट लिमिटेड (PAN: AAECN1616N), जोकि खसरा नंबर 50, 51, मौजा वांजरी, बंदे नवाज नगर, ऑटोमोटिव चौक के पास, कळमना रिंग रोड, नागपुर – 440026** पर स्थित है, को उपर्युक्त धाराओं, उप-धारा (2) के खंड (vii) के परंतुक के तहत अनुमोदन प्रदान करती हूँ जोकि इस प्रयोजन के संवंध में दिशा-निर्देश, मानक एवं निर्देश जो इस आदेश के 2, 3, 4 तथा 5 अनुच्छेद में दिए गए है, के अध्याधीन होगा । यह अनुमोदन इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर प्रदान किया जा रहा है ।

In exercise of the powers conferred on me under proviso (ii)(b) to clause (viii) of sub-section (2) of Section 17 of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), read with Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962, I, Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur, hereby approve **Nagpur Cancer Hospital and Research Institute Private Limited (PAN: AAECN1616N), situated at Khasra No. 50, 51, Mouja Wanjari, Bande Nawaz Nagar, Near Automotive Square, Kalamna Ring Road, Nagpur – 440026,** for the purpose of the said section, sub-section, clause and proviso, and subject to the guidelines, norms and directions contained in paras 2, 3, 4 and 5 of this Order. This renewal of approval is granted on the basis of the recommendation of the Committee constituted in this regard.

2. कोई राशि जो नियोक्ता द्वारा सीधे नागपुर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान प्राइवेट लिमिटेड, खसरा नंबर 50, 51, मौजा वांजरी, बंदे नवाज नगर, ऑटोमोटिव चौक के पास, कळमना रिंग रोड, नागपुर – 440026 को कर्मचारी/उसके किसी परिजन के मेडिकल उपचार के लिए प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा, इस

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त Pr. Chief Commissioner of Income Tax Nagpur नागपुर

राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15, 16 एवं 17 के प्रयोजन हेतु अनुलब्धिया(Perquisite) नहीं माना जाएगा एवं कर्मचारी को प्राप्त होने वाली यह राशि आयकर से मुक्त होगी। नियोक्ता इस राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत कर कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कर्मचारी अपनी आयकर-विवरणी के साथ इस अस्पताल से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करेगा जिसमें उस रोग या व्याधि का उल्लेख होगा जिसके लिए मेडिकल उपचार की आवश्यकता थी तथा अस्पताल को भुगतान की गई राशि की रसीद भी संलग्न करना होगा। आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(2) यथासंशोधित में उल्लेखित निम्नलिखित बीमारियों के उपचार हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

(क) कैंसर

(ख) अस्थि मज्जा और कैंसर की बीमारी या बीमारियां जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता हो

(ग) सिर और गर्दन के कैंसर की बीमारी या बीमारियां जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता हो

(घ) ऑर्थो ऑन्कोलॉजी उपचार के लिए सर्जिकल ऑपरेशन या आर्थोपेडिक उपचार की आवश्यकता हो

(ङ) केमो कैंसर साइटो टॉक्सिक थेरेपी के लिए कम से कम सतत तीन दिन अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो

(च) स्त्री रोग ऑन्कोलॉजी को कम से कम सतत तीन दिन अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो।

(छ) साइको ऑन्कोलॉजी जिसमें कम से कम सतत तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो

(ज) कीमो ड्रग रिएक्शन कम से कम सतत तीन दिनों में अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो।

Any sum paid by an employer, directly to **Nagpur Cancer Hospital and Research Institute Private Limited**, for the purpose of medical treatment of employee/ any member of family of employee, shall not be treated as a perquisite for the purpose of Sections 15, 16, and 17 of the Income-tax Act, 1961, and such sum shall be exempt from Income-tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under Section 192 of the Income-tax Act, 1961, in respect of such sum. The employee shall attach with his/ her return of income, a certificate from the said hospital, specifying the disease or ailment for which, medical treatment was required, and the receipt for the amount paid to the hospital. The approval is granted for treatment of the following diseases and ailments, as prescribed in Rule 3A(2) of the Income-tax Rules, 1962, as amended to date:

(a) Cancer

(b) Disease or ailments of Bone Marrow and Cancer requiring surgical operation

(c) Ailment or disease of the Head and Neck Cancer requiring surgical operation

(d) Ortho Oncology treatments requiring surgical operation or orthopedic treatments

(e) Chemo Cancer Cyto toxic therapy requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days

(f) Gynecology Oncology requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days

(g) Psycho Oncology requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
Pr. Chief Commissioner of Income Tax
Nagpur
नागपुर

(h) Chemo Drug Reactions requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days

3. यह अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित नियम एवं और शर्तों के अधीन हैः-

i. यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है ।

ii. इस अनुमोदन में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक उपचार को शामिल नहीं है ।

iii. अस्पताल सभी उचित समय पर आयकर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ।

iv. यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा सांविधिक प्रावधानों/शर्तों की सतत अनुपालना के अध्याधीन होगा, जिनसे ऐसे अनुमोदन प्रदान किया जाना संचालित होता है तथा यह अनुमोदन प्रदान करने संबंधी सांविधिक प्रावधानों में आवश्यक होने पर तत्पश्चात किए गए बदलाव/संशोधनों जोकि सुधार/वापसी के अध्याधीन होगा ।

v. यदि किसी भी समय यह पाया गया कि अनुमोदन धोखे से या तथ्यों की गलत प्रस्तुति के आधार पर प्राप्त किया गया है, ऐसी स्थिति में किसी भी समय यह अनुमोदन वापस लिया जाएगा

vi. जब अस्पताल आयकर अधिनियम 1961 एवं समय-समय पर संशोधित आयकर नियम 1962 द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त की पूर्ति में असफल हो जाए, तब अस्पताल को ऐसे तथ्यों की सूचना तुरंत अनुमोदन प्रदानकर्ता प्राधिकारी को देनी होगी ।

This order of approval is subject to the following terms and conditions:

(i) This approval is not transferable.

(ii) The approval will not cover Indian systems of medicine and homoeopathic treatment.

(iii) The hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income-tax Department, as are duly authorized in this behalf.

(iv) This approval is subject to the Hospital's continued compliance with the statutory provisions/ conditions governing the grant of such approval, and is also subject to modifications/ withdrawal, if necessitated by subsequent changes/ amendments to the statutory provisions governing the grant of approval.

(v) This approval is subject to withdrawal at any time, if it is found that the approval has been obtained by fraud or through mis-representation of facts.

(vi) In the event the Hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by the Income-tax Act, 1961, and Income-tax Rules, 1962, as amended from time to time, it will be mandatory on the part of the Hospital to immediately notify the approval issuing authority of such fact.

4. यह अनुमोदन मात्र आयकर अधिनियम1961 की धारा 17 की उप) धारा-2) की खंड)viii) के परंतुक)ii)(बी,के प्रयोजन के लिए है (और इसे केंद्र सरकार अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर या यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु सरकार के तहत कोई अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन ना समझा जाए ।

This approval is only for the purpose of proviso (ii)(b) to clause (viii) of sub-section (2) of Section 17 of the Income-tax Act, 1961, and should not be construed as approval of the Central Government or the Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur, or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
Pr. Chief Commissioner of Income Tax
Nagpur
नागपुर

5. यह अनुमोदन दिनांक 01/06/2021 से प्रदान किया जाता है और यह तीन वर्ष अर्था 31/05/2024 तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के तहत अनुमोदन प्रदान करने संबंधी दिए गए प्रावधानों में किसी संशोधन से आवश्यक हुआ ऐसे सुधार जो नियम 3ए(1) के तहत दी गई सांविधिक शर्तों का अस्पताल द्वारा सतत अनुपालन किए जाने के अध्याधीन रहेगा ।

This approval is granted w.e.f. 01/06/2021 and shall remain in force for three years, i.e. upto 31/05/2024. This approval is subject to the Hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modification, as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under the Income-tax Act, 1961.

6. अनुमोदन के नुतनीकरण का आवेदन वर्तमान अनुमोदन समाप्त होने की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

Application for renewal of approval, if any, should be submitted at least 30 days before the expiry of the current approval.

-sd-
(वसुंधरा सिन्हा)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर

सेवा में,
निर्देशक,
मेसर्स नागपुर कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
खसरा नंबर 50-51, मौजा वंजारी, बंदे नवाज नगर,
ऑटोमोटिव स्क्वायर के पास, कळमना रिंग रोड नागपुर 440026

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1) सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 001
2) भारत में सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
3) नागपुर क्षेत्र में सभी प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त ।

(सुरेंद्र शर्मा)
आयकर अधिकारी (सीओ)
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
नागपुर

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
Pr. Chief Commissioner of Income Tax
Nagpur
नागपुर